अनुदान संख्या 56 - आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय
GRANT No. 56–MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**			
स्वीकृत-	Voted–	857,97,00	581,75,93	–276,21,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			268,77,08

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2215" जल पूर्ति तथा सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation					
मू.	O.	100.00				
			999.70	964.34	–35.36
पु.	R.	899.70				
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing					
मू.	O.	20797.00				
			3521.42	2931.15	–590.27
पु.	R.	–17275.58				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	5500.00				
			100.30	. .	–100.30
पु.	R.	–5399.70				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	800.00	4905.73	4905.73	. .
पु.	R.	4105.73			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मु.	O.	55800.00	46537.27	46721.96	+184.69
पु.	R.	–9262.73			

(I) 5701.00 लाख रु. का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 5500.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "जलमल और सफाई - सफाई सेवाएं - शुष्क शौचघरों को परिवर्तित करने तथा नए शौचघरों का निर्माण करने के लिए कम लागत की सफाई" - 500.00 लाख रु.;

(खा) "जलमल और सफाई - सफाई सेवाएं - पूर्वोत्तर राज्य में जलमल प्रणाली का विकास/सुधार" - 500.00 लाख रु.;

(गा) "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं - शहरोन्मुख रोजगार कार्यक्रम - रोजगार संवर्धन/गरीबी उन्मूलन" - 4000.00 लाख रु.; और

(I) Provision of Rs.5701.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.5500.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" under the following heads:-

(A) "Sewerage and Sanitation – Sanitation Services - Low cost sanitation for Conversion of dry Laterines and construction of new ones" – Rs.500.00 lakhs;

(B) "Sewerage and Sanitation-Sanitation Services –Development/Improvement of Sewerage System in North Eastern State" – Rs.500.00 lakhs;

(C) "Other General Economic Services - Urban Oriented Employment Programme - Employment Promotion/Poverty Alleviation" – Rs.4000.00 lakhs; and

(घा) ''आवास - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता - शहरी गरीबों के लिए आश्रयों का निर्माण/उन्नयन'' - 500.00 लाख रु.।

(D) "Housing - Assistance to Public Sector and Other Undertakings – Construction/ Upgradation of Shelters for Urban Poor" – Rs.500.00 lakhs.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) ''2216'' के अंतर्गत - के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2216" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''शहरी आवास - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता - शहरी गरीबों के लिए आवास स्कीम'' - 17976.17 लाख रु. की बचत (18059.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के प्रारंभिक चरण में होने के कारण हुई।

(A) "Urban Housing - Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Scheme for housing the urban poor" – saving of Rs.17976.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18059.00 lakhs) was due to scheme being at inception stage.

(खा) ''सामान्य - भवन, आयोजना और अनुसंधान - भवन प्रौद्योगिकी का विकास'' - 150.00 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(B) "General - Building, Planning and Research - Development of Building Technology" – saving of Rs.150.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year.

(III) मुख्य शीर्ष ''3475'' - ''शहरोन्मुख रोजगार कार्यक्रम - स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना'' के अंतर्गत 244.27 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रस्ताव, उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3475" – "Urban Oriented Employment Programme – Swaran Jayanti Shahari Rojgar Yojana" – saving of Rs.244.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals and utilization certificates from Union Territory Administration.

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''जलमल और सफाई - सफाई सेवाएं - शुष्क शौचघरों को परिवर्तित करने एवं नए शौचघरों के निर्माण के लिए कम लागत की सफाई'' - 714.65 लाख रु. की बचत (5300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services – Low Cost Sanitation for Conversion of dry Latrines and Construction of New ones" – saving of Rs.714.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5300.00 lakhs); and

(खा) "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं - शहरोन्मुख रोजगार कार्यक्रम - स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना'' - 8363.39 लाख रु. की बचत (50500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से कम मांगें प्राप्त होने के कारण हुईं।

(V) एक शीर्षों के अंतर्गत 93.34 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 93 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2215'' - "जलमल और सफाई - सफाई सेवाएं'' -

(क) "पूर्वोत्तर राज्य में जलमल प्रणाली का विकास/सुधार'' - 500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में);

(ख) "शुष्क शौचघरों को परिवर्तित करने और नए शौचघरों के निर्माण के लिए कम लागत की सफाई'' - 399.70 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष "2216'' - "शहरी आवास - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता - शहरी गरीबों के लिए आश्रयों का निर्माण/उन्नयन'' - 500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) मुख्य शीर्ष "3475'' - "शहरोन्मुख रोजगार कार्यक्रम - रोजगार संवर्धन/गरीबी उन्मूलन'' - 4350.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(B) "Other General Economic Services – Urban Oriented Employment Programme - Swaran Jayanti Shahari Rojgar Yojana" – saving of Rs.8363.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.50500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less demand from the State Governments.

(V) Under one head saving of Rs.93.34 lakhs occurred constituting 93 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2215" – "Sewerage and Sanitation- Sanitation Services" –

(a) "Development /Improvement of Sewerage System in North Eastern State" – excess of Rs.500.00 lakhs (against nil provision);

(b) "Low Cost Sanitation for Conversion of dry Laterines and Construction of New ones" – excess of Rs.399.70 lakhs (against nil provision);

(B) Major Head "2216" – "Urban Housing - Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Construction/Upgradation of shelters for Urban Poor" – excess of Rs.500.00 lakhs (against nil provision); and

(C) Major Head "3475" – "Urban Oriented Employment Programme – Employment Promotion/Poverty Alleviation" – excess of Rs.4350.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.